## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :-18 / 2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 दलाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला गरल तहसील व जिला बाड़मेर। | | 1 खरथाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला, गरल तहसील व जिला बाड़मेर 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा महाबार 3 तहसीलदार बाड़मेर। |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.**

उपस्थिति :-

1. श्री राजेश बिश्नोई, वकील प्रार्थी।
2. श्री सवाई सिंह राठौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 01।

## आदेश

दिनांक 07.08.24

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सुथारों का तला पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 255 रकबा 18.9716 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के मौजा सुथारों का तला पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 551 / 264 रकबा 7.7052 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते से सड़क मार्ग तक जाने का एक-मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने-जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, जो संलग्न नजरी नक्शा में ए से बी में बरंग लाल से दर्शाइ गई भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में से आने-जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 551 / 264 में से रास्ता दिलाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है किंतु प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 255 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी के खेत में से होकर कोई कटान मार्ग नहीं चल रहा है तथा प्रार्थी ने जो रास्ता चाहा है वह रास्ता सीधा या नजदीक नहीं है तथा प्रार्थी को अवागमन हेतु अन्य खसरा संख्या यथा 726 / 266, 725 / 266 तथा 553 / 226 में से सुगम रास्ता प्राप्त हो सकता है किंतु प्रार्थी द्वारा उक्त खसरान से रास्ता नहीं मांग कर केवल अप्रार्थी संख्या 01 को परेशान करने की नियत से रास्ता चाहा है तथा उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज करने योग्य है।

तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व / रास्ते / 2024 / 258 दिनांक 09.02.2024 द्वारा रास्ते हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत मौजा सुथारों का तला पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 255 रकबा 18.9716 हैक्टेयर भूमि से सड़क मार्ग तक जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा न ही

ड अधिकारी
बाडमेर

कोई वैकल्तिक रास्ता है। अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 551/264 में से रास्ता प्रस्तावित किया है जो 4 गठा चौड़ा है। मौके पर संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया है जो राजस्व रेकर्ड में कटान अंकित नही है। उक्त सड़क से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि मौजा सुथारों का तला पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 551/264 रकबा 7.7052 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते हेतु संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अनुसार 316 मीटर लम्बा तथा 8 मीटर चौड़ा रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार प्रस्तावित किया है :–

| क्र. सं. | नाम खातेदार | ख.नं. | कुल रकबा | किस्म | रास्ता लम्बाई X चौडाई (मीटर में) | प्रस्तावित मार्ग का रकबा (है. में) | डीएलसी दर प्रति बीघा | डीएलसी दर की देय दूगनी राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | खरथा पुत्र उदा कौम जाट सा.देह खातेदार | 551/264 | 7.7050 | बा.दो. | 316 X 8 | 0.2528 | 52860/– | 165104/– |

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रस्तावित रास्ते को अस्वीकार किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी का अपनी कृषि जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा सुथारों का तला पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 255 रकबा 18.9716 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में से सरकारी मार्ग तक जाने हेतु 4 गट्ठा जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल दर्शाई गई है। तहसीलदार बाडमेर उक्तानुसार राशि रू. 165104/–प्रार्थी से राजकोष में जमा करावे। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी 01 को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 07.08.24 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर